न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 45/2017 **दायरा दिनांक : 17.03.2017**

उनवान

खुमान सिंह पिसरान भंवर सिंह आयु 48 साल जाति राव राजपूत निवासी रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

.... अपीलांट

बनाम

1— रितेश कुमार सिंह पुत्र रघुवीर सिंह नाबालिग जर्ये वली माता खुद भंवर बाई पत्नी रघूवीर सिंह जाति रावराजपूत निवासी रतनपुरा

2— कौशल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह नाबालिग जर्ये वली माता खुद भंवर बाई पत्नी रघुवीर सिंह जाति राव राजपूत निवासी रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

3— हेमन्त सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह नाबालिग जर्ये वली माता हेमकुंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति राव राजपूत निवासी रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

4— प्रिया चौहार पुत्री सुरेन्द्र सिंह नाबालिग जर्ये वली माता हेमकुंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति राव राजपूत निवासी रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

5— विजय लक्ष्मी पुत्री सुरेन्द्र सिंह नाबालिग जर्ये वली माता हेमकुंवर पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति राव राजपूत निवासी रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

6— शंभु सिह पुत्र रामगोपाल जाति राव राजपूत निवासी रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

7— जोरावर सिह पुत्र राम गोपाल जाति राव राजपूत निवासी रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

8— रघुवीर सिंह पुत्र रामगोपाल जाति राव राजपूत निवासी रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

9— सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामगोपाल जाति राव राजपूत निवासी रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

10— मुकेश कुंवर पुत्री रामगोपाल पत्नी दलपत सिह जाति राव राजपूत निवासी रतनपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड राज.

11— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री चरण सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.12.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकार खानपुर के प्रकरण संख्या — 531/2014 के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

वादीगण/रेस्पोडेंट 1 लगायत 5 ले प्रतिवादीगण 6 लगायत 10 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया जिसमें ग्राम रतनपुरा, तहसील खानपुर की खतौनी संख्या नया 95 की कुल 6 किता की 23 बीघा 16 बिस्वा आराजी रेस्पोडेंट प्रतिवादी नम्बर 6 शम्भूसिंह वल्द रामगोपाल, जाति राव राजपूत के खाते दर्ज थी जिसमें से खसरा नम्बर 233 की रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा आराजी का बेचान प्रतिवादी नम्बर 6 ने अपीलांट के पक्ष में करके कब्जा संभला दिया था । नामान्तरकरण संख्या 307 दिनांक 06.09.2014 से उपरोक्त जमीन अपीलांट के नाम दर्ज हो गई व तब से आज तक अपीलांट का ही कब्जा काश्त है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण 2 लगायत 5 व प्रतिवादीगण 6 लगायत 10 ने दुरभि सन्धि कर न्यायालय से उपरोक्त जमीन की भी डिक्री करवा ली व दिनांक

04.03.2016 को नामान्तरकरण संख्या 333 से वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया । अतः अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण है व अपास्त होने योग्य है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.02.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । प्रकरण में न तो तनकी बनायी गई है और न ही प्रकरण का तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली, दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपील मीमों में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है । अतः उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है ।

नामान्तरकरण संख्या 307 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शम्भू सिंह पिता रामगोपाल द्वारा खसरा नम्बर 233 की 2 बीघा 18 बिस्वा जमीन खुमान सिंह पिता भंवरसिंह को बेचान कर दिया तथा जो जरिये नामान्तरकरण वर्तमान में खातेदार काश्तकार दर्ज हो चुके हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का निर्णय पारित करते समय उक्त बेचान को भी आराजी में शामिल मानते हुए निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट को पार्टी नहीं बनाया गया अर्थात् वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त तथ्य को छुपाया गया है एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त दावे में अपीलांट को पक्षकार बनाये । दस्तावेजों का अवलोकन कर आवश्यक साक्ष्य इत्यादि पुनः प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर विधिपूर्ण निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा